

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2014/पौष 26, 1935

No. 18]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2014/PAUSHA 26, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

सं. 03 /2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 23 (अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उद्भूत या वहां से निर्यातित अध्याय 28 के अंतर्गत “कास्टिक सोडा” आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/23/2013-डीजीएडी, तारीख 19 दिसम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में तारीख 19 दिसम्बर, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 137/2008-सीमा शुल्क, तारीख 26 दिसम्बर, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 889 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत

प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 137/2008-सीमा शुल्क, तारीख 26 दिसम्बर, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 889 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“उपयुक्त निहित के बावजूद, यह अधिसूचना, जब तक कि पहले विखंडित न किया जाये, 25 दिसम्बर, 2014 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी।”

[फा. सं. 354/92/2011-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 137/2008-सीमा शुल्क, तारीख 26 दिसम्बर, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 889 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 94/2011-सीमा शुल्क, तारीख 3 अक्टूबर, 2011 जो सा.का.नि.738(अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2014

No. 03/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 23 (E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 15/23/2013-DGAD, dated the 19th December, 2013, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 19th December, 2013 had initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on Caustic Soda, falling under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, People's Republic of China, imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 137/2008-Customs, dated the 26th December, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 889 (E), dated the 26th December, 2008 and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 137/2008-Customs, dated the 26th December, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 889 (E), dated the 26th December, 2008 namely : —

In the said notification, after Paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely : —

“3. Notwithstanding anything contained hereinabove, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 25th day of December, 2014.”.

[F. No. 354/92/2011-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 137/2008-Customs, dated the 26th December, 2008, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 889 (E), dated the 26th December, 2008 and was last amended vide notification No. 94/2011-Customs, dated the 3rd October, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 738 (E), dated the 3rd October, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

सं. 03 /2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा0का0नि0 24 (अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, कोरिया आरपी में मूलतः उद्भूत या वहां से निर्यातित अध्याय 28 के अंतर्गत “कास्टिक सोडा” आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/23/2013-डीजीएडी, तारीख 19 दिसम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में तारीख 19 दिसम्बर, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 95/2011-सीमा शुल्क, तारीख 3 अक्टूबर, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 739 (अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2011 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क के संबंध में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपादन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 95/2011-सीमा शुल्क, तारीख 3 अक्टूबर, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 739 (अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2011 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में “25 दिसम्बर, 2013” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “25 दिसम्बर, 2014” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 354/92/2011-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 95/2011-सीमा शुल्क, तारीख 3 अक्टूबर, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 739 (अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2014

No. 04/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 24 (E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/23/2013-DGAD, dated the 19th December, 2013, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 19th December, 2013 had initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on Caustic Soda, falling under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Korea RP, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 95/2011-Customs, dated the 3rd October, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 739 (E), dated the 3rd October, 2011 and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 95/2011-Customs, dated the 3rd October, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 739 (E), dated the 3rd October, 2011, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words “25th December, 2013”, the figures, letters and words “25th December, 2014” shall be substituted.

F. No. 354/92/2011-TRU

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 95/2011-Customs, dated the 3rd October, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 739 (E), dated the 3rd October, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

सं. 05/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 25 (अ).—जबकि कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित दिनांक 9 अगस्त, 2012 की अपनी अधिसूचना सं.15/1007/2012-डीजीएडी, के अंतर्गत चाईनीज ताइपेई (यहां जिसे विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए नोनायल फिनाल (यहां जिन्हें विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची में टैरिफ मद 29071300 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 22 अगस्त, 2007 को सा.का.नि. सं. 562 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. 94/2007-सीमा शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 24 अगस्त, 2012 को सा.का.नि. सं. 650 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. 39/2012- सीमा-शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 21 अगस्त, 2013 तक विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 8 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित दिनांक 8 नवम्बर, 2013 के अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/1007/2012-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

- (i) संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में संबद्धवस्तु पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही है और पाटन मार्जिन अत्यधिक है।
- (ii) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात पाटित कीमतों पर जारी है और मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इसके जारी रहने की संभावना है।
- (iii) संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है।
- (iv) घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और इसीलिए यदि संबद्ध देशों में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (v) पाटनरोधी शुल्क में विस्तार किया जाना और उसमें संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

इसलिए अब सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (i) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्र. स.	टैरिफ शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1	29071300	नोनायल फिनाल	चाईनीज ताइपेई	चाईनीज ताइपेई	मैसर्स चाइना मेन मेड फाइबर कार्पोरेशन	मैसर्स चाइना मेन मेड फाइबर कार्पोरेशन	163.62	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	29071300	नोनायल फिनाल	चाईनीज ताइपेई	चाईनीज ताइपेई	मैसर्स फोरमोशन यूनियन केमिकल्स कार्पोरेशन	मैसर्स फोरमोशन यूनियन केमिकल्स कार्पोरेशन	207.18	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	29071300	नोनायल फिनाल	चाईनीज ताइपेई	चाईनीज ताइपेई	कम 1 .सं . और के 2 अतिरिक्त अन्य कोई संयोजन		364.48	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	29071300	नोनायल फिनाल	चाईनीज ताइपेई	चाईनीज ताइपेई को छोड़कर अन्य कोई देश	कोई	कोई	364.48	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	29071300	नोनायल फिनाल	चाईनीज ताइपेई को छोड़कर अन्य कोई देश	चाईनीज ताइपेई	कोई	कोई	364.48	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वही होगी जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट, है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा.सं. 354/117/2007-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2014

No. 05/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 25 (E).—Whereas, the designated authority, vide notification No. 15/1007/2012-DGAD, dated the 9th August, 2012, published in Part I, Section I of the Gazette of India, Extraordinary had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Nonyl Phenol (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff item 2907 13 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from, Chinese Taipei (hereinafter referred to as the subject country), imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 94/2007 dated the 22nd August, 2007 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. No. 562 (E), dated the 22nd August, 2007.

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country upto and inclusive of the 21st August, 2013 vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2012 –Customs (ADD) dated the 24th August, 2012, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. No. 650 (E), dated the 24th August, 2012.

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority vide its final findings, No. 15/1007/2012-DGAD dated the 8th November, 2013, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India, Extraordinary, has come to the conclusion that,-

- (i) The subject goods from subject country are entering the Indian market at dumped prices;
- (ii) The subject goods continue to be exported to India at dumped prices despite the existing anti dumping duties and there is a likelihood of its continuation should the existing antidumping duties are allowed to cease;
- (iii) The injury to the domestic industry is likely to continue in the event of withdrawal of anti dumping duty from the subject countries;
- (iv) The situation of domestic industry continues to be fragile and therefore should the present anti dumping duties from the subject country be withdrawn, injury to the domestic industry is likely to recur; and
- (v) The anti dumping duties are required to be extended and modified, and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per the unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table.

TABLE

Sl.No.	Tariff Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2907 13 00	Nonyl Phenol	Chinese Taipei	Chinese Taipei	M/s China Man-made Fibre Corporation	M/s China Man-made Fibre Corporation	163.62	MT	US Dollar
2	2907 13 00	Nonyl Phenol	Chinese Taipei	Chinese Taipei	M/s Formosan Union Chemical Corporation	M/s Formosan Union Chemical Corporation	207.18	MT	US Dollar
3	2907 13 00	Nonyl Phenol	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any combination of producer / exporter (other than in Sl. No. 1 and 2 above)		364.48	MT	US Dollar
4	2907 13 00	Nonyl Phenol	Chinese Taipei	Any country other than Chinese Taipei	Any	Any	364.48	MT	US Dollar
5	2907 13 00	Nonyl Phenol	Any Any country other than Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any	Any	364.48	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/117 /2007-TRU]
AKSHAY JOSHI, Under Secy.